वादी — बनाम — प्रतिवादी

रामचन्द्र पिड़ीवाराम — तहसीलदार कुचामन सिटी

जाटान्ड़ किसान

किस्म मुकदमा राजस्व-वाद अधीन धारा 88 R.T.A. मु.नं. 79/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8/4/18	प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88 R.T.A. 1955 के तहत पेश किया वादीगण का दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तारीख जारी हो नियत दि० 18/6/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
18/6/18	पत्रावली अग्रिम पेशी के लिए बदली गई हाजिर पत्रावली के अवलोकन से तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं है तिथि नहीं नोटिस तो नहीं आ.रि. है। नियमानुसार वादी का वाद लापता है और प्रतिवादी वादी का वाद कायम रखाने होने से वादी लापरवाह है। नियमानुसार खारिज होने के आदेश। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official